वित्तीय स्वीकृति

संख्या– /XVII-4/2017–10(49)2014

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–04 देहरादून दिनांक 17 अगस्त, 2017

विषय–अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के क्रियान्वयन हेतु अवशेष केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1393/स.क./POA&PCR/धनराशि मांग/2017–18 दिनांक 18.07.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत "**अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन**" योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2017–18 में **₹25.315 लाख (रूपये पच्चीस लाख इकतीस हजार पांच सौ मात्र)** संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. संख्या–S1708300181 दिनांक 17/08/17 द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

1. प्रश्नगत धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. लाभार्थियों का खाता आधार नम्बर से लिंक कर दिया जाय।
3. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
4. आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि केवल स्वीकृत मदों पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाए। पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत मदों में आवंटित धनराशि का उपयोग, यदि किसी अन्य मद में करना आवश्यक हो, तो व्यय/उपभोग करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार शासन अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
6. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या तथा अयोजनागत/आयोजनेत्तर शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
7. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि को समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथासमय शासन को प्रेषित किया जाय।
8. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त करते हुए, आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत करायें।

क्रमशः 2...

9. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियमवाली), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. निर्गत की जा रही धनराशि के उपयोग में मितव्ययता की नितान्त आवश्यकता है। अतः धनराशि उपयोग/व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. बी0एम0–08 पर संकलित मासिक व्यय की सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों की धनराशि को आहरण–वितरण अधिकारियों को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दी जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर हीं किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय, और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जाय।

13. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–30 के अंतर्गत संलग्न एलोटमेन्ट आई.डी. में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ें वर्गों का कल्याण, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 277–शिक्षा, 01–केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 06–अनुसूचित जाति के विकास की योजना/अ0जा0 के विकास के लिए अम्ब्रैला योजना 100 प्र0के0स0(अ0जा0 दशमोत्तर छात्रवृत्ति, मैरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति, अ0जा0 कक्षा 09 से 10 की छात्रवृत्ति, अ0जा0 अत्याचार उत्पीड़न सहायता एवं स्पेशल कम्पोनेंट हेतु विशेष केन्द्रीय सहायत) योजना के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव।

संख्याः –17 (1)/XVII-4/2017-10(49)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Social Welfare (S045)

आवंटन पत्र संख्या - 470(A) /xvii-4/2017-10(49)/2014

अलोटमेंट आई डी - S1708300181

अनुदान संख्या - 030

आवंटन पत्र दिनांक -17-Aug-2017

HOD Name - Director Social Welfare (4708)

1: लेखा शीर्षक 2225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अ 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

277 - शिक्षा

01 - केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

06 - अनुसूचित जाति के विकास की योजना /अ0जा0 के विकास के लिए अम्ब्रैला योजना 100 प्र0के0स0 (अ0जा0 दशमो

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	2531500	2531500
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	264552000	0	264552000
	264552000	**2531500**	**267083500**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2531500

(महेन्द्र सिंह नेगी) 17/8/17
अनुभाग अधिकारी
समाज कल्याण अनुभाग–04